उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, पटेलनगर देहरादून

दूरभाष नं0–0135–2728272 फैक्स–2728226 मेल–mpr@doiuk.org

निविदा सूचना संख्या 668 /2019 दिनांक 28 मई 2019

अल्पकालीन निविदा

उद्योग निदेशालय,उत्तराखण्ड,पटेलनगर देहरादून द्वारा बाह्य स्त्रोतों से एक हल्का डीजल वाहन(टाटा इण्डिगो सीएस/एम एण्ड एम बुलेरो/इनोवा माडल जो 01 जनवरी, 2017 के बाद का हो) की सेवायें मय चालक, एक वर्ष अथवा अग्रिम आदेशों के अनुरूप अनुबन्ध आधार पर ली जानी प्रस्तावित है।

2– अतः इच्छुक फर्म/वाहन स्वामी जो उत्तराखण्ड सम्भागीय परिवहन कार्यालय से पंजीकृत हों,उक्त निविदा शील बन्द लिफाफे में उद्योग निदेशालय को दिनांक 12.06.2019 समय 4 बजे अपरान्ह तक निविदा पेटी में प्रस्तुत की जा सकती है जिसे उसी दिन अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। निविदा की अधिक जानकारी निदेशालय की वेवसाइट **www.doiuk.org** पर टेन्डर एण्ड नोटिस शीर्षक के पीएफए–टेन्डर से डाउनलोड की जा सकती है।

निदेशक, उद्योग,
उत्तराखण्ड।

<u>निविदा प्रपत्र</u>

कार्य का नाम– उद्योग निदेशालय के उपयोग हेतु चालक सहित वाहन मासिक किराये पर लिये जाने हेतु निविदा

अनुबन्ध की शर्तें एवं प्रतिबन्ध–

1. चालक सहित किराये के वाहन हेतु एक वर्ष से अधिक पुराना माडल अस्वीकार्य होगा। प्रस्ताव में चालक सहित वाहन का प्रतिमाह किराया रूपयों में अंकित करें।
2. वाहन एवं चालक के कागजात पूर्ण तथा वैध होने चाहिये। चालक वाहन संचालन हेतु पूर्णतया सक्षम तथा स्वस्थ व्यक्ति हो तथा न्यूनतम 10 वर्ष का चालन का अनुभव हो।
3. निविदा प्रपत्र की धनराशि रू0 500/– प्रति निविदा के साथ निदेशक उद्योग के नाम का बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा प्रतिभूति (धरोहर) प्रति वाहन रू0 12,000/– की दर से निदेशक उद्योग के पक्ष में बैकर्स चैक निविदा फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
4. वाहन में डीजल/पेट्रोल शासन द्वारा निर्धारित मात्रा में विभाग द्वारा पूर्ति की जायेगी।
5. किराये का भुगतान प्रतिमाह के आधार पर उद्योग निदेशालय द्वारा किया जायेगा। भुगतान हेतु बिल दो प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा। उक्त के अतिरिक्त किसी प्रकार का व्यय विभाग विभाग द्वारा देय नही होगा। किसी प्रकार का अग्रिम देय नही होगा। चालक का वेतन, भत्ता, वर्दी पृथक से देय नही होगी।
6. मुख्यालय से बाहर विश्राम की स्थिति में चालक की दैनिक पारिश्रमिक की दर अंकित करें।
7. निविदा स्वीकार किये जाने के पश्चात किसी प्रकार का कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नही होगा।
8. असफल निविदादाताओं की निविदा प्रतिपूर्ति उसकी अन्तिम वैधता अवधि की समाप्ति पर विभाग द्वारा संविदा करने के उपरान्त 30 (तीस) दिन के अन्तर्गत सम्बन्धित निविदादाताओं को लौटा दी जायेगी।
9. निविदा की अवधि वित्तीय वर्ष 2019–2020, अथवा अग्रिम आदेशों तक मान्य होगी।
10. किसी भी विवाद के सम्बन्ध में प्रकरण निदेशक उद्योग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
11. वाहन की सुरक्षा, रख रखाव, दुर्घटना आदि का पूर्ण उत्तरदायित्व चालक/ वाहन स्वामी का होगा।
12. सफल निविदादाता द्वारा कार्यपूर्ति धरोहर प्रस्तुत करने के बाद उसकी निविदा प्रतिभूति वापसकर दी जायेगी।

13. निविदा के सम्यक रूप से निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए सफल निविदादाता, जिसमें पक्ष में संविदा दी गई हो, से कार्यपूर्ति प्रतिभूति (धरोहर) संविदा मूल्य के सापेक्ष निर्धारित दर से प्रति वाहन के अनुसार निदेशक उद्योग के पक्ष में (एकाउन्ट पेई) डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में ली जायेगी।
14. कि0मी0/हाल्ट के आधार पर कोई व्यय भुगतान नही होगा।
15. चालक को दिये जाने वाले समस्त वेतन भत्ते आदि व्यय फर्म/ स्वामी द्वारा वहन किये जायेगें। कोई भी अतिरिक्त भुगतान विभाग द्वारा मान्य नही किया जायेगा।
16. वाहन खराब होने की स्थिति में तत्काल सही वाहन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा विलम्ब के लिये तदनुसार प्रतिदिन के अनुसार कटौतीकी जायेगी।
17. वाहन पूर्ण रूप से उद्योग निदेशालय के नियन्त्रण में संचालित होगा।
18. चालक सहित प्रति वाहन की दरें पृथक–पृथक में अंकित करें।
19. सफल निविदादाता से विभाग द्वारा वाहन की मांग करने पर तत्काल वाहन उपलब्ध कराना होगा।
20. निविदा स्वीकृत होने उपरान्त किसी प्रकार की कोई शर्त अनुमन्य नहीं होगी।
21. निविदा स्वीकृत होने उपरान्त निविदादाता एवं उद्योग निदेशालय के मध्ये रू0 100/– के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध पत्र में सम्पादित किया जायेगा, जिसका व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।
22. इच्छुक वाहन स्वामी/ट्रेवल एजेन्सी के स्वामित्व में On Road पर्याप्त वाहन होना अनिवार्य है। निविदाओं की प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदादाता को निविदाओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन या संशोधन की अनुमति नही होगी।
23. निदेशक उद्योग किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें स्वीकृत/निरस्त किये जाने का अधिकार सुरक्षित है।
24. कानूनी मामलों में देहरादून न्यायिक क्षेत्र होगा।

निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय।

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड पटेलनगर, देहरादून।
दूरभाषः—0135—2728272, 2728227 फैक्स—2728226

चालक सहित किराये का वाहन हेतु निविदा फार्म

1. ट्रेवल एजेंसी / कम्पनी का नामः—
   वाहन का मेक मॉडलः—
   (डीजल चालित वाहन का मेक माडल व पंजीयन सहित):—

2. चालक सहित वाहन का प्रतिमाह किराया कुल रूपयें:—

3. ट्रेवल एजेंन्सी / कम्पनी के पंजीकरण का विवरण (दिनांक)

4. मु,ख्य कार्यालय का स्थायी पता—

   दूरभाष संख्या—
   फैक्स संख्या—
   ई—मेल / वेवसाइट—

5. शाखा कार्यालय—
   (यदि हो)
   दूरभाष संख्या—
   फैक्स संख्या—
   (स्थान की अपर्याप्तता की स्थिति पृथक से सूची संलग्न कर सकते है) उत्तराखण्ड में स्थापित शाखाओं के सम्बन्ध में एजेन्सी पूर्ण विवरण दें तथा सम्बन्धित कागजात संलग्न करें।

6. स्थायी बैंक लेखा संख्या / पेन / टेन नं0 / जी0एस0टी0 / सर्विस टैक्स पजीकरण संख्या (उत्तराखण्ड राज्य का)

7. पिछले तीन वर्षो का टर्न ओवर

क्रमशः—

8. क्या आप उत्तराखण्ड प्रदेश में ट्रांसपोर्ट सेक्टर/ट्रेवल पैनल में शामिल है–

9. क्या आपने कभी राजकीय विभागों में वाहन किराये पर लगायें है, यदि हॉ तो पूर्ण विवरण दें–

10. कोई अन्य सूचना जो आप देना चाहते हों–

11. ट्रेवल सेक्टर में पूर्व में किये गये कार्यो का अनुभव यदि हों–

<u>नोट</u>

1. जो बिन्दु आवेदित हों उनकी लिखित पुष्टि के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिलेख की फोटो स्टेट प्रति संलग्न करें।

आवेदक/फर्म का नाम एवं पता–

फोन नं0–
फैक्स नं0–
ई–मेल–